प्रेस नोट 30.08.2020

705 लीटर अपमिश्रित देशी कच्ची शराब बरामद, लगभग 3000 लीटर लहन नष्ट, 08 व्यक्ति गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कुल 705 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद कर 08 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया। इस क्रम में थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा नरीहवा के पास से दयाशंकर पुत्र रमाशंकर, मनोज पुत्र चनरदेव, विनोद पुत्र भगवान निवासीगण परिसिया देवार थाना बरहज जनपद देवरिया, जितेन्द्र, रामजतन पुत्रगण लखराज निवासीगण धर्मपुर नरिहवा थाना मधुबन के कब्जे से 635 लीटर अपमिश्रित देशी कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण, यूरिया, नौसादर, फिटकरी आदि बरामद कर लगभग 3000 हजार लीटर लहन को नष्ट किया गया। राजेन्द्र साहनी पुत्र राधे साहनी निवासी ककराडीह थाना मधुबन के कब्जे से 10 लीटर, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा गुड्डु उर्फ सादन पुत्र रामअवतार निवासी बड़की बारी थाना दोहरीघाट मऊ के कब्जे से 50 लीटर देशी कच्ची शराब, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा एकबाल अहमद पुत्र इशा अहमद निवासी खैरामुहम्मदपुर थाना घोसी मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकरी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गोवध निवारण के क्रम में दो राशि गाय बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.08.20 को थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान पड़री चट्टी के पा से नसिरूद्दीन नट पुत्र रफिक निवासी माहपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से वध के लिए जा रही दो राशि गाय तथा एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 308/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा मु0अ0सं0 309/20 धारा 4/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.08.20 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 441/20 धारा 147,323,504,506,308 भादवि0 में वांछित अभियुक्त गुलाब यादव पुत्र रामकेर यादव निवासी अल्लीपुर थाना कोपगंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 27 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा दीपक, संगीता, करिश्मा, विन्द्रश्वरी, दुष्यन्त निवासीगण रधौली, मूरली, अकिंत, सीताराम, धनन्जय, अर्जुन निवासीगण बड़ागांव थाना घोसी, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा रामविजय निवासी खालसा कानूनगोगच, रविन्द्र निवासी नयी बस्ती, रामविशाल निवासी सिकठिया थाना कोतवाली, दीपक चन्द्र निवासी भीटी, आनन्द प्रकाश निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा अनिल निवासी मीरपुर रहिमाबाद, भूषण राम, बिलचू, सुरेन्द्र राम, मुंशीराम निवासीगण भूजही थाना मुहम्दाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा ज्ञानेन्द्र निवासी काझा थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा रविन्द्र यादव, रामश्रे यादव निवासीगण ताजोपुर, जितेन्द्र, दीलीप निवासीगण सरवा थाना सरायलखंसी, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सोनू, जुगनु निवासीगण इब्राहिमाबाद, पवन निवासी हराधौली थाना दोहरीघाट मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस की कार्यवाही–

कारोना महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 29.08.20 को सुबह 8 बजे से दिनांक 30.08.20 को सुबह 8 बजे तक जनपद के समस्त 366 बैरियर प्वाइंट (311 हाटस्पाट एरिया) पर चेकिंग के दौरान 46 व्यक्तियों के विरूद्ध 09 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 1546 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 91 वाहनों का चालान तथा 13 हजार रुपये शमन शुल्क वसूले गये।

साथ ही साथ मास्क न लगाने पर किये गये 117 चालान व वसूले गये 08 हजार 700 रुपये जुर्माना तथा लाकडाउन का उलंघन करने पर 41 चालान व वसूले गये 04 हजार 500 जुर्माना सहित कुल 26 हजार 200 रुपये जुर्माना वसूला गया। जनपद में भीड़–भाड़ वाले जगहों, बैंको, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराया जा रहा है।